

‘हिन्दुस्तान’ दिनांक-26.06.2010

बिहार सरकार

परिधापक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

आवेदन की अंतिम तिथि:- 25.07.2010

बिहार राज्य के काराओं में परिधापक समूह-घ के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। पद का वेतनमान रु0- 4,440-7,440/- रु0 तथा ग्रेड पे0-रु0 1650 है। नियुक्ति हेतु सूचना निम्नवत है :-

1) रिक्तियों की संख्या:- 88

(i.)	अनुसूचित जाति	16 पद
(ii.)	अनुसूचित जनजाति	01 पद
(iii.)	अत्यन्त पिछ़ा वर्ग	15 पद
(iv.)	पिछ़ा वर्ग	12 पद
(v.)	पिछ़ा वर्ग महिला	02 पद
(vi.)	सामान्य	<u>42 पद</u>
		कुल 88 पद

2) अर्हताएँ :-

- (i.) प्रवेशिका / मैट्रिक उर्तीण या इसके समकक्ष।
- (ii.) शारीरिक रूप से स्वस्थ्य हो।
- (iii.) सरकारी संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से परिधापक पद हेतु एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त।
- (iv.) अथवा सरकार के अनुमोदनोपरान्त कारा महानिरीक्षक द्वारा जो अर्हता समय-समय पर विहित की जाय।

3) आयु व्यूनतम :- दिनांक-01.04.2010 को 18 वर्ष।

आयु अधिकतम :- दिनांक 01.04.2010 को

सामान्य	- 37 वर्ष।
अत्यन्त पिछ़ा / पिछ़ा / महिला वर्ग	- 40 वर्ष।
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	- 42 वर्ष।

4) नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया :- लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं प्रायोगिक परीक्षा।

5) नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवार संलग्न विहित प्रपत्र में अपना आवेदन-पत्र कारा महानिरीक्षक, बिहार, कारा निरीक्षणालय, बिहार, पुराना सचिवालय, पठना-15 के

कार्यालय में निबन्धित डाक से इस रूप में प्रेषित करेंगे कि आवेदन दिनांक 25.07.2010 तक निश्चित रूप से कार्यालय में प्राप्त हो जाये ।

लिफाफे पर मोटे अक्षरों में “परिधापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन” अंकित किया जायेगा । आयु, जाति, शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्रों की अभिप्रामाणित प्रति अंतिम चयन के समय संलग्न की जायेगी । अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र विचारणीय नहीं होंगे एवं डाक में हुए विलम्ब के लिए कोई जिम्मेवारी अद्योहस्ताक्षरी / कार्यालय / विभाग की नहीं होगी ।

6) परीक्षा शुल्क :-

अनारक्षित और अत्यंत पिछ़ा वर्ग / पिछ़ा वर्ग / पिछ़ा वर्ग महिला के उम्मीदवारों के लिए 100/- (केवल एक सौ रुपया) परीक्षा शुल्क है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से पूरी छूट है ।

परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से सहायक कारा, महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पक्ष में जारी और एस0बी0आई0, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना में देय एकाउन्ट पेई डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अथवा जी0पी0ओ0, पटना में देय और सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना के पक्ष में किसी भी डाकघर से जारी भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा किया जाना चाहिये ।

नकदी / चेक / केन्द्रीय भर्ती टिकट और मनीआर्डर के साथ प्राप्त आवेदनों को नामंजूर कर दिया जायेगा तथा राशि को जब्त कर लिया जायेगा ।

- 7) विहित आवेदन प्रपत्र सादे कागज पर हस्तालिखित या ठंकित कराये जा सकते हैं ।
- 8) बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी ।
- 9) बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को ही आरक्षण (विकलांग, निःशक्त सहित) का लाभ मिलेगा ।
- 10) लिफाफा (11" x 5") पर स्पष्ट पता (25/-रु0 का टिकट सहित) अंकित होना आवश्यक है ।

कारा महानिरीक्षक,
गृह (कारा) विभाग,
बिहार, पटना ।